

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

सं०-21/एस.एस.सी.-03/2016, सा.प्र. / पटना 15, दिनांक-

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के नियम-04 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची-3 (इण्टर स्तरीय) में पूर्व से सम्मिलित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के "अवर निरीक्षक उत्पाद" पद को विलोपित करते हुए नियमावली की अनुसूची-2 (स्नातक स्तरीय) में "अवर निरीक्षक उत्पाद" पद को तत्कालिक प्रभाव से शामिल किया जाता है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3718 दिनांक-19.03.2014 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

सं०-21/एस.एस.सी.-03/2016, सा.प्र. / पटना 15, दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, ई.-गजट शाखा को सी.डी. सहित राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु.- सी.डी.।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

सं०-21/एस.एस.सी.-03/2016, सा.प्र. 1194 / पटना 15, दिनांक- 21/2/17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के संयुक्त सचिव।